



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या - 388 राँची, गुरुवार, 28 ज्येष्ठ, 1948 (श०)  
18 जून, 2026 (ई०)

---

#### महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

-----

संकल्प

6 सितम्बर, 2024

**विषय :-** राज्य संचालित "झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना" अन्तर्गत 18 वर्ष एवं इससे अधिक आयु की महिलाओं को आच्छादित करने संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति।

**ज्ञापांक:-08/म०स०/यो०-138/2024-2204--**राज्यान्तर्गत महिलाओं में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा तथा आर्थिक पिछड़ापन की समस्या व्याप्त है। महिलाओं के बीच उपरोक्त समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए 21 वर्ष से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार, महिला सशक्तिकरण, उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार प्रयासरत है। इस हेतु राज्यान्तर्गत विभागीय संकल्प संख्या-1406 दिनांक 01.07.2024 सह पठित संकल्प संख्या-1723 दिनांक-29.07.2024 तथा विभागीय पत्रांक-1898 दिनांक-07.08.2024 के माध्यम से निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया द्वारा "झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना" का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 21-50 वर्ष की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु प्रतिमाह रुपये 1,000/- (एक हजार रु० मात्र) की दर से आर्थिक सहायता राशि का भुगतान किया जा रहा है। "झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना" के तहत 18 वर्ष एवं इससे अधिक आयु की महिलाओं को भी योजना का लाभ दिए जाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था, ताकि उच्च शिक्षा

की ओर अग्रसर महिलाओं की पढ़ाई निरन्तर जारी रह सके तथा उन्हें समुचित आर्थिक सहायता प्राप्त हो।

2. सम्यक विचारोपरान्त तथा राज्य योजना प्राधिकृत समिति की सशर्त सहमति के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-1406 दिनांक 01.07.2024 सह पठित संकल्प संख्या-1723 दिनांक-29.07.2024 तथा विभागीय पत्रांक-1898 दिनांक-07.08.2024 के माध्यम से निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया में आंशिक संशोधन करते हुए 18 वर्ष एवं इससे अधिक आयु की महिलाओं को भी योजना का लाभ दिए जाने का निर्णय लिया गया है अर्थात् योजनान्तर्गत 18 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं को योजना के लाभ से आच्छादित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त हेतु योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹0 560.00 करोड़ अतिरिक्त निधि का बजटीय उपबंध आगामी अनुपूरक आगणन अथवा झारखण्ड राज्य आकस्मिकता निधि के माध्यम से विभाग द्वारा प्राप्त की जायेगी।

3. वर्तमान में योजनान्तर्गत 48 लाख से अधिक लाभुकों को आच्छादित किया जा चुका है। उक्त प्रस्ताव के साथ योजनान्तर्गत लाभुकों की संख्या में 8,00,000 (आठ लाख) अतिरिक्त वृद्धि अनुमानित है अर्थात् योजनान्तर्गत 18 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं की कुल संख्या 56,00,000 होने की संभावना है। तदनुसार योजनान्तर्गत वार्षिक व्यय ₹० 672000.00 लाख (सरसठ अरब बीस करोड़ ₹० मात्र) आकलित है।

4. आर्थिक सहायता हेतु उपबंधित राशि मांग संख्या-60, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-796/102/789-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना/सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन/अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-17-झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के उपयुक्त इकाईयों के अधीन विकलनीय होगा।

5. विभागीय संकल्प संख्या-1406 दिनांक-01.07.2024 सह पठित संकल्प संख्या-1723 दिनांक-29.07.2024 तथा विभागीय पत्रांक-1898 दिनांक 07.08.2024 के माध्यम से निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

6. इस पर राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक-06.09.2024 की बैठक के मद संख्या-35 में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**मनोज कुमार,**  
सरकार के सचिव

-----